

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 169 /2020

दिनांक 09.12.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./153/2020 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा श्रीमती सुनीता नसवारिया (RJ0792), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना (झालावाड़) को दिनांक 09.11.2020 से 24.12.2020 तक 46 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.11.2020 एवं 25.12.2020 से 01.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 09.11.2020 से 19.11.2020 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/75/2013/ 5564

दिनांक : 9 .12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 3729 दिनांक 02.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुनीता नसवारिया (RJ0792), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना (झालावाड़)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना (झालावाड़)।
5. श्री विनोद कुमार बैरवा (RJ0711), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार